उत्तराखंड उच्च न्यायाल , नैनीताल

आपराधिक प्रकीर्ण आवेदन संख्या- 2047 /2022

सतीश गोयल और अन्य ..... आवेदकगण

बनाम

उत्तराखंड राज्य के द्वारा

सचिव गृह देहरादून और अन्य ..... प्रत्यर्थी गण

आवेदकों की ओर से श्री अरविंद वशिष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता बतौर सहायक अधिवक्ता श्री विवेक पाठक।

राज्य की ओर से श्री टी.सी. अग्रवाल, ए.जी.ए. ।

दिनांक: 09.12.2022

न्यायमूर्ति माननीय शरद कुमार शर्मा.

प्रस्तुत 482 आवेदन में विवाद की उत्पति एफ० आई० आर० नंबर 641 दिनांक 19.07.2018 के पंजीकरण से होती है, जो कि शिकायतकर्ता श्री राजेश कुमार द्वारा व्यक्तियों की धारा ३०६ भारतीय दण्ड संहिता के तहत अपराध में कथित संलिप्पता के लिए दर्ज करायी गयी। 19.07.2018 को थाना कोतवाली हरिद्वार, जिला हरिद्वार में दर्ज की गई एफ0आई0आर0 में तथ्यों का संक्षिप्त विवरण था, जिससे अंततः यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि उसका भाई श्री सूरज गोयल, पुत्र श्री राम किशोर, फ़रीदाबाद का निवासी था। उन्होंने फरीदाबाद से हरिद्वार तक की यात्रा की थी, और 23.06.2018 को वह विनायक मिश्रा धर्मशाला, भल्ला रोड, हरिद्वार नामक एक धर्मशाला में रुके थे। एफ0आई0आर0 में आगे अभिकथित गया था कि 26.06.2018 को, स्वर्गीय श्री सूरज वर्मा ने विष्णु घाट पर एक पुल से गंगा नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। आरोप लगाया गया कि बाद में जब धर्मशाला के जिस कमरे में वह रह रहे थे, उनकी तलाशी ली गई तो दो सुसाइड नोट बरामद होने की बात कही गई और सुसाइड नोट में वर्तमान आवेदकों के नाम का विशेष रूप से उल्लेख किया गया था, क्योंकि एक निश्चित राशि लगभग 5.60 करोड़ रुपये थी, जिसे एफआईआर में वर्णित किया गया था, साथ ही सुसाइड नोट में मृतक स्वर्गीय श्री

सूरज वर्मा को उनके द्वारा भुगतान किया जाना था। आगे यह आरोप लगाया गया था और यह भी ध्यान रखना प्रासंगिक होगा कि एफ0आई0आर0 में, यह उल्लेख किया गया था कि जब भी मृतक उपरोक्त नामित अभियुक्त व्यक्ति से पैसे की मांग करता था, तो कहा जाता है कि तीनों भाइयों ने उसे धमकी दी थी और उसके खिलाफ व्यंग्यात्मक टिप्पणी करने के बाद उसे वहाँ से दूर जाने के लिए कहा था और आगे यह भी तर्क दिया गया है कि उन्होंने यह भी कहा है, बेहतर होगा कि मृतक गंगा में कूदकर अपनी जान दे दे, ताकि उसमें नामित अभियुक्त व्यक्ति को उस परेशानी से छूट मिल सके, जो मृतक को दिए जाने वाले पैसे की मांग के कारण मृतक द्वारा दी जा रही थी ।

2. मामले का अन्वेषण किया गया और अन्वेषण अधिकारी ने अंततः 03.12.2016 को चार्जशीट नंबर 450 के रूप में आरोप पत्र प्रस्तुत किया था। यदि आरोप-पत्र पर ही विचार किया जाए, तो अन्वेषण अधिकारी भी एफ0आई0आर0 में लगाए गए आरोपों के आधार पर अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि वर्तमान आवेदक, जो खाद्य तेलों के कारोबार में लगे हुए हैं, जो कि "चाभी" के ब्रांड नाम से था । आरोप पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरिद्वार द्वारा आपराधिक अपराध संख्या 7189/2022, राज्य बनाम राजेश एवं अन्य के प्रकरण दर्ज कर संज्ञान लिया गया है, जिसके तहत आवेदकों को भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत मुकदमा चलाने के लिए तलब किया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह आरोप लगाया गया कि आवेदकों को अंततः जमानत पर रिहा कर दिया गया, लेकिन, कार्यवाही के औचित्य का प्रश्न ही चुनौती के अधीन है, कि क्या एफ0आई0आर0 में शिकायत किया गया क़त्य पढ़ा जाए। अन्वेषण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र में की गई विशिष्टयों के अनुरूप, क्या किसी भी तरह से शिकायत किया गया क़त्य दुष्प्रेरण के अपराध के अन्तर्गत है या नहीं ।

3. प्रश्न यह है कि क्या वर्तमान/ उपस्थित आवेदक का क़त्य, जिसकी शिकायत की गई है, ने मृतक को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया होगा या नहीं। किसी व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने के विभिन्न तत्व हैं, जिसमें उत्पीड़न का स्तर, मानसिक झुकाव और उकसाने वाले की दृष्टिकोण भी, जिन पर विचार किए जाने की आवश्यकता है.

4. आई0पी0सी0 के तहत दिए गए दुष्प्रेरण और दुष्प्रेरक की परिभाषा पर विचार करने से पहले, इसके शाब्दिक अर्थ पर विचार करना आवश्यक हो जाता है क्योंकि यह

ब्लैक डिक्शनरी में प्रदान किया गया है, जिसका अर्थ है कि दुष्प्रेरण का अर्थ है किसी व्यक्ति को इस तरह की प्रस्थिति में लाने के लिए उकसाना। प्रस्थिति, उसे एक नकारात्मक विचार प्रक्रिया विकसित करने की एक निश्चित तंग मानसिक स्थिति में आने के लिए मजबूर करने के लिए उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर करती है और जो व्यक्ति इस प्रकार इसमें सहायक पाया जाता है उसे उकसाने वाला कहा जाता है। ब्लैक डिक्शनरी के तहत दी गई 'उकसाने' की परिभाषा यहां दी निम्नलिखित गई है;

उकसाना- 1. किसी व्यक्ति को प्रोत्साहित करना और विशेष रूप से अपराध करने में सहायता करना, सक्रिय सहायता द्वारा किसी अपराध का समर्थन करना।

5. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में " दुष्प्रेरण " शब्द की लगभग वही परिभाषा प्रदान की गई है, जो कि ब्लैक डिक्शनरी के अंतर्गत परिभाषा प्रदान की गई है।

6. आवेदकों के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता की तर्कों से व्यवहार हेतु कि क्या अपराध की शिकायत आई० पी० सी० की धारा 306 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आयेगी। जिसके लिए उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है या नहीं। इसके लिए धारा 107 के अन्तर्गत स्वतंत्र रूप से प्रदान की गई दुष्प्रेरण की परिभाषा से सम्बन्ध सुसंगत हो जाता है।

–107. किसी बात का दुष्प्रेरण - वह व्यक्ति किसी चीज़ के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, जो -

उस चीज़ को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है; अथवा उस चीज़ को करने के लिए किसी षड्यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है, यदि उस षडयंत्र के अनुसरण में, कोई कार्य या अवैध चूक होती है; अथवा उस चीज़ के किए जाने में किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा जानबूझ कर सहायता करता है ।

स्पष्टीकरण 1-- अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर दुर्व्यपदेशन या तात्विक तथ्य द्वारा, जिसे प्रकट करने के लिए वह आबद्ध है, जानबूझकर छिपाने द्वारा, स्वेच्छा से किसी चीज़ का किया जाना कारित करता है अथवा कारित करने का प्रयत्न करता है, तो उसे उस चीज़ को करने के लिए उकसाना कहा जाता है । दृष्टांत क एक लोक ऑफिसर, न्यायालय के वारण्ट द्वारा य को पकड़ने के लिए प्राधिकृत है। ख उस तथ्य को जानते हुए और यह भी जानते हुए कि ग, य नहीं है, क को जानबूझकर यह व्यपदिष्ट करता है, कि ग, य है और तद्द्वारा साशय क से ग को पकड़वाता है। यहां ख, ग के पकड़े जाने का उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण करता है।

स्पष्टीकरण 2 - जो कोई या तो किसी कार्य के किए जाने से पूर्व या किए जाने के समय, उस कार्य के किए जाने को सुकर बनाने के लिए कोई बात करता है और एतद्द्वारा

उसके किए जाने को सुकर बनाता है वह उस कार्य के करने में सहायता करता है, यह कहा जाता है।

7. इसके लिए आवश्यक मुख्य तत्व यह हैं कि किसी कार्य को करने के लिए एक ऐसा कार्य होना चाहिए जिसमें किसी व्यक्ति को उकसाने या उसे एक परिदृश्य या गंभीर परिस्थितियों की रचना करके प्रेरित करने का तत्व हो। इसमें यह भी शामिल है कि जो कोई भी षड्यंत्र के एक निश्चित कार्य में शामिल होता है, जिससे किसी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाया जाता है, उसे भी धारा 107 के तहत दिए गए 'दुष्प्रेरण' के दायरे में लाया जाएगा। इस प्रकार धारा 107 के तहत दुष्प्रेरण के प्रयोजनों के लिए आवश्यक तत्व यह है कि प्रत्येक दिए गए मामले में जिसके लिए आईपीसी की धारा 306 के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है, दो बुनियादी तत्व हैं जिनका इस न्यायालय की राय के अनुसार परीक्षण किया जाना है जो किसी कार्य को उकसाने की परिभाषा के भीतर लाने के लिए आवश्यक होंगे।

(1) यह कि एक उकसावा और उकसावे को परिस्थितियों या उत्पीड़न करने के आशय से सक्रिय किया जाना है, जिसके कारण यह उस व्यक्ति पर एक तंग मनोवैज्ञानिक दबाव बनाता है, आसपास की परिस्थितियों के कारण, जो हर मामले में अलग-अलग होगा जिस पर संबंधित व्यक्ति द्वारा षड़यंत्र में स्वयं को शामिल करके जानबूझकर उकसाया जाता है। भारतीय दंड संहिता धारा 108 के परिभाषित करता है कि दुष्प्रेरक कौन होगा। – **दुष्प्रेरक** वह व्यक्ति होगा जो किसी व्यक्ति को अपराध या आत्महत्या के कार्य के लिए मजबूर करने के दुराशय से उकसाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

(2) प्रश्न यह होगा कि क्या प्रस्तुत आवेदक को दुष्प्रेरक और धारा 306 के अंतर्गत मृतक द्वारा किए गए कृत्य के लिए दुष्प्रेरक करार दिया जा सकता है, क्या यह धारा 107 के तहत दुष्प्रेरक और दुष्प्रेरण था?

8. मामले के मौजूदा तथ्यों के अंतर्गत और बाद के चरण में, जब आवेदकों ने सुसाइड नोट के साथ पूरक शपथ पत्र दायर किया है, जो कि धर्मशाला से बरामद किया जाना बताया गया है, जहां मृतक रहता था, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि सुसाइड नोट में, जो बरामद किया गया था, हालांकि दो घटनाओं का उल्लेख किया गया था (1) मृतक की बहू के अत्याचार के कथित कृत्य के संबंध में, जो होना प्रासंगिक नहीं हो सकता है, वर्तमान आवेदकों के संबंध में वर्तमान

482 आवेदन के प्रयोजनों के लिए विचार किया गया, लेकिन, 25.07.2018 के सुसाइड नोट के पहले भाग में, इसका उल्लेख यहां किया गया है;-

"धर्मंदर खटाना ने मेरे को बरबाद किया था इस के ऊपर में आत्महत्या कर रहा हू इस को 14 साल की सजा होनी चाहिए मेरे अंतिम ख्वाइस ये हे जय गंगा माता विनय कुमार 9818231674

राजेशवर गोयल, पवन गोयल, सतीश गोयल इन 56,000,000/- भार लिये। में इन्हें 20 साल को जेल चाहता हूँ. और में अपने बहु से परेशान हूँ इसे भी 10 साल जेल चाहता हूँ मेरे बच्चे घर रहे ये चाहता हूँ।

(ये तीनो भाई सेक्ट 11 में रहते हैं चाबी ब्रान्ड तेल वाले हैं)"

9. वर्तमान आवेदकों के नाम बताने के बाद मृतक को पता चला कि इन लोगों ने एक-दूसरे के साथ मिलकर मृतक से 5.60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का षड़यंत्र रचा है, जिसे उन्होंने हड़प कर अपने हाथों में ले लिया। अपने ऊपर हो रहे उत्पीड़न के कारण उसने कहा कि वह 20 साल की अवधि के लिए सलाखों के पीछे रखे जाने का हकदार है। आवेदक के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा जिस प्रश्न पर बहस करने का प्रयास किया गया वह यह है कि सुसाइड नोट में व्यक्त अभिव्यक्ति स्वयं उकसाने की परिभाषा में नहीं आती है, क्योंकि वर्तमान आवेदकों ने उल्लिखित राशि में से मृतक को पैसे दिए हैं। सुसाइड नोट में धोखाधड़ी के षड़यंत्र में उक्त कृत्य को वर्तमान आवेदक के हाथों उकसाने का कृत्य मानने में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

10 इसके संबंध में, आवेदक के अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उल्लेख किया है जैसा कि (2021) 2 एससीसी 427, अर्नब मनोरंजन गोस्वामी बनाम महाराष्ट्र राज्य में बताया गया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय एक पहलू पर विचार किया कि न्यायालय द्वारा शक्तियों के प्रयोग की सीमा क्या होगी, जो अनुच्छेद 226 के या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत अपनी अंतर्निहित शक्तियों में जमानत मंजूर करने के प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जा रहा है ।

11 उपरोक्त मुद्दे से निपटते समय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय और विशेष रूप से आवेदक के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा जो संदर्भ दिया गया है, वह उन टिप्पणियों के संदर्भ में है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय के पैरा 50 में की गई थीं , जो निम्न है;

पहला खंड धारा 107 दुष्प्रेरण को किसी विशेष कार्य को करने के लिए किसी व्यक्ति के उकसाने के रूप में परिभाषित करता है। दूसरा खंड इसे किसी कार्य को करने के लिए एक या एक से अधिक अन्य व्यक्तियों के साथ षड़यंत्र में शामिल होने और साजिश के अनुसरण में एक कार्य या अवैध लोप के संदर्भ में परिभाषित करता है। तीसरे खंड के तहत, उकसाने की स्थापना जानबूझकर किसी कार्य या लोप से किसी

काम को करने में सहायता करने पर की जाती है। इन प्रावधानों को विशेष रूप से निम्नलिखित के संदर्भ में माना गया है: धारा 306 जिसके लिए एफ०आई० आर० की सामग्री का आकलन करने के लिए विधिक आधार प्रस्तुत करने के लिए संदर्भ आवश्यक है। इन प्रावधानों को इस न्यायालय के पूर्व निर्णयों में इस प्रकार समझा गया है पश्चिम बंगाल राज्य बनाम पश्चिम बंगाल ओरीलाल जायसवाल 18, रणधीर सिंह बनाम राज्य पंजाब 19, किशोरी लाल बनाम एमपी 20 राज्य (किशोरी लाल) और किशनगिरी मंगलगिरी गोस्वामी बनाम राज्य गुजरात 21. अमलेंदु पाल बनाम पश्चिम राज्य में बंगाल 22, न्यायमूर्ति मुकुंदकम शर्मा, इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ के लिए बोलते हुए और पहले के निर्णयों का उल्लेख करते हुए कहा गया:
यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि आत्महत्या के लिए कथित रूप से उकसाने के मामलों में आत्महत्या के लिए उकसाने के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कृत्यों का सबूत होना चाहिए। केवल उत्पीड़न के आरोप पर, अभियुक्त की ओर से घटना के समय के निकट कोई बिना सकारात्मक कार्रवाई किए , जिसके कारण व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए प्रेरित या मजबूर हुआ, किस के संदर्भ में दोषसिद्धि हुई धारा 306 आईपीसी स्थापित नहीं होती।

12. माननीय उच्चतम न्यायालय ने धारा 107, जो दुष्प्रेरण को परिभाषित करती है, के दुष्प्रेरण की व्याख्या करते हुए उक्त परिभाषा को दो खंडों में विभाजित किया है (1) उकसाने का एक सार होना चाहिए और दूसरा एक या एक से अधिक व्यक्तियों के साथ साजिश का सार होना चाहिए, जो इतनी तीव्रता का हो सकता है, जो किसी व्यक्ति को ऐसी मनोवैज्ञानिक स्थिति में ले जा सकता है, जो उसे आत्महत्या करने का कार्य करने के लिए मजबूर हो जाए।

13. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 50 में धारा 306 के तहत अपराध गठित करने के लिए आवश्यक पाए गए दो तत्वों के संबंध में धारा 107 के तहत निहित परिभाषा के आलोक में देखा है कि कार्य स्पष्ट रूप से उकसावे और साजिश में शामिल होना चाहिए लेकिन एक तीसरा पहलू भी है, क्योंकि उकसाने वाले का इरादा आत्महत्या करके किसी व्यक्ति को कार्य करने में सहायता करना था जिस पर विचार किया जाना चाहिए ।

14. जहां तक इस मामले के तथ्यों का संबंध है, इस मामले में, आरोप पत्र प्रस्तुत करने के बाद, आवेदक को उपस्थित होने के लिए बुलाने का आदेश जारी होने के बाद, मुकदमे की सुनवाई अभी तक अपने प्रारंभिक चरण में नहीं हुई है और इस स्तर पर, आरोप पत्र और समन आदेश को चुनौती दी गई थी। क्या धारा 306 के तहत अपराध के लिए किए जाने वाले मुकदमे पर विचार किए जाने की आवश्यकता है या नहीं।

15. इस न्यायालय का विचार है कि वर्तमान आवेदकों के आपराधिक पूर्ववृत्त के तथ्य के अलावा, जिसका उल्लेख 482 के आवेदन में किया गया है, मेरा विचार है कि यदि दुष्प्रेरक के व्यवहार संबंधी पहलू को ध्यान में रखा जाए तो अपराधों को जो आवेदन में विवरण किया गया है, जिसमें दुष्प्रेरकों का शामिल होना बताया गया है, यह आवेदकों के मन का एक सतत मनोवैज्ञानिक झुकाव है, जिन्हें आपराधिक गतिविधियों में खुद को शामिल करने की आदत है, हालांकि उपरोक्त अपराधों के संबंध में जमानत देना, इस स्तर पर विचार करने के लिए बहुत प्रासंगिक नहीं हो सकता है, ताकि षडयंत्र में शामिल होनेके किसी व्यक्तिके मूल विचार या प्रक्रिया को उपसारण किया जाए।

16. यदि सुसाइड नोट पर विचार किया जाए, तो वास्तव में, मृतक बहुत सचेत था और उसे वर्तमान आवेदक के एक कृत्य के कारण आत्महत्या करने के लिए उकसाया गया था, जिसने उससे 5.60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की थी। यह अपने आप में एक ऐसा कृत्य होगा जो मृतक को गलत तरीके से धोखा देकर आत्महत्या के लिए उकसाने की श्रेणी में आएगा, ताकि इसे धारा 107 के तहत दुष्प्रेरण के कृत्य के अंतर्गत लाया जा सके। जब मृतक ने उल्लेख किया है कि वर्तमान आवेदकों ने मिलकर और सुसाइड नोट में अंकित रकम को षडंयत्र कर मृतक को ठगने का उल्लेख किया गया है, षड़यंत्र का तत्व अपने आप में बिल्कुल स्पष्ट एवं सुस्थापित है।

17. अब, सवाल यह होगा कि क्या सुसाइड नोट को पढ़ने से ही उकसाने या षड़यंत्र के तत्व स्पष्ट होगें, इस न्यायालय की राय के अनुसार जब मृतक को भुगतान की जाने वाली राशि का तथ्य वह तथ्य नहीं है जो विवादित था, जो आवेदक के अनुसार, एक विवादित राशि है। अब, प्रश्न यह होगा कि इस न्यायालय की राय के अनुसार, क्या वर्तमान आवेदकों द्वारा मृतक का कथित दावा देय था या नहीं, क्या वास्तविक राशि मृतक को भुगतान की जानी थी या नहीं, जैसा कि दावा किया गया था, कि क्या वर्तमान आवेदक द्वारा पहले से प्राप्त राशि का भुगतान न करने का कार्य किया गया था, मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इन सभी तत्वों पर इस स्तर पर कोई निष्कर्ष निकालने से पहले तथ्यात्मक प्रशंसा की आवश्यकता है, जो इस न्यायालय की राय के अनुसार, इस न्यायालय के समक्ष रखे गए दस्तावेजों के रिकॉर्ड के स्पष्ट स्थिति पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के पैराग्राफ 50 के मापदंडों के अपवाद में होगा, जिस पर आवेदक के अधिवक्ता द्वारा भरोसा किया गया है। क्योंकि उकसाना, साजिश दोनों स्पष्ट रूप से एक आशय के

साथ होते हैं, प्रत्येक मामले में परिवर्तनशील कारक होंगे, जिसे केवल एक सही निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए परीक्षण के अधीन किया जाना चाहिए, जिसे इस स्तर पर सबूतों की सराहना करके निर्धारित नहीं किया जा सकता है, जब इसके लिए आसपास के तथ्यों और परिस्थितियों की सराहना की आवश्यकता होती है और विशेष रूप से जब दावा की गई राशि, जो मृतक के आत्महत्या करने के लिए एक आधार के रूप में गठित किया गया था, वह हमेशा परीक्षण का विषय होगा।

18. इसलिए, मामले के तथ्यों में, अर्नव मनोरंजन गोस्वामी के फैसले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चर्चा की गई तीन तत्वों की उपस्थिति यहां उपलब्ध नहीं है, और जहां यह आरोप लगाया गया है कि राशि का आदान-प्रदान किया जाना है, उनमें से एक उद्देश्य यह है कि मृतक को धोखा दिया गया था, जिसका वह तर्क देता है अन्यथा वह वर्तमान आवेदकों द्वारा भुगतान पाने का हकदार था। चूंकि, तथ्यात्मक रूप से कहें तो, मनोरंजन गोस्वामी का निर्णय पूरी तरह से अलग आधार पर आधारित था, लेकिन, धारा 306 के प्रयोजनों के लिए, आवश्यक तत्व, अर्थात्, उकसावे, षड़यंत्र और शब्दों का वर्णन/उल्लेख करने का आशय , वे अभी तक घटित नहीं हुए हैं। वर्तमान मामले में, तथ्यों का निर्णय विचारणीय न्यायालय द्वारा किया गया था। इसलिए, यह न्यायालय फैसले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों के आलोक में एक विश्वसनीय निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए मुकदमे के विकल्प के रूप में कार्य करने के लिए धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करने के लिए इच्छुक नहीं है। अर्नव मनोरंजन गोस्वामी (सुप्रा) जैसा कि ऊपर कहा गया है।

19. उपर्युक्त कारणों से , धारा 482 के आवेदन में **गुणदोष** का अभाव है और तदनुसार इसे खारिज किया जाता है।

(न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा)